"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 जून 2010—आषाढ़ 4, शक 1932

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जून 2010

क्रमांक ई-1-5/2006/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19-05-2010 द्वारा श्री सौरभ कुमार, भा.प्र.से. (2009:परिवीक्षाधीन) को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर राज्य में जिला प्रशिक्षण के लिये सहायक कलेक्टर, बस्तर के पद पर पदस्थ किया गया था. उक्त आदेश के आंशिक संशोधन करते हुए श्री सौरभ कुमार को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्य ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2010

क्रमांक 3844/7-ए/जसं./तशा/औजप्र/02/डी-4.—छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्र. 3 सन् 1931) के अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 37 तथा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1819/7-ए/जसं./तशा/औजप्र/02/डी-4, रायपुर दिनांक 21-03-2006 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा संपूर्ण राज्य में औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिये निम्नलिखित जल-दर निर्धारित करती है :—

क्र.	उपयोग का प्रकार	विशेष विवरण	जल-दर
1.	औद्योगिक प्रयोजन/ताप विद्युत प्रयोजन	अ शासकीय स्रोत :—	
		1 बांध/जलाशय से . . .	रु. 6.00 प्रति घ.मी.
		2 नहर प्रणाली से . . .	रु. 7.00 प्रति घ. मी.
		ब नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्रोत से. . . .	रु. 2.00 प्रति घ. मी.
2.	जल विद्युत प्रयोजन (जल के उपयोग पश्चात् पुनः प्राप्ति)	अ अशासकीय स्रोत :—	
		1 बांध/जलाशय से . . .	60 (साठ) पैसे/विद्युत इकाई उत्पादन एवं 200 (दो सौ) पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्ष एस्केलेशन चार्जेस
		2 नहर प्रणाली से . . .	70 (सत्तर) पैसे/विद्युत इकाई उत्पादन एवं 250 (दो सौ पचास) पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्ष एस्केलेशन चार्जेस
		ब नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्रोत से. . .	20 (बीस) पैसे/विद्युत इकाई उत्पादन पर

2. उपरोक्तानुसार निर्धारित जल-दर दिनांक 01-05-2010 से प्रभावशील रहेंगी. इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी.

3. जल का उपयोग प्रारंभ करने के पूर्व शासन के अनुमोदन उपरांत प्रारूप-7 (क) में अनुबंध निष्पादित किया जायेगा.

4. उपरोक्त दरों का पुनर्निर्धारण प्रति 3 वर्ष के पश्चात् किया जायेगा.

5. निजी संयंत्रों द्वारा निस्सारित किये जाने वाले जल का निस्सरण राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के नियमों के अनुसार नहीं करने पर दोषी संस्थानों को नियमानुसार दण्डित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, सचिव.